

भारत के राजपत्र भाग 1 खण्ड 2 में प्रकाशनार्थ


सं.23012/05/2013-अ.भा.से.-III

भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर, 2014

अधिसूचना

दिनांक 02 अगस्त, 2010 की अधिसूचना सं. 14015/21/2009-अभासे(1)-ख के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त डॉ. के.एस. पलानीसामी आईएएस (तमिलनाडु) को अपना नाम डॉ. के.एस. पलानीसामी (Palanisami) से परिवर्तित कर डॉ. के.एस. पलानीसामी (Palanisamy) करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार, सभी सरकारी प्रयोजनों से उन्हें डॉ. के.एस. पलानीसामी (Palanisamy) के रूप में जाना जाएगा।



(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,  
भारत सरकार मुद्रणालय,  
फरीदाबाद (हरियाणा)

सं.23012/05/2013-अ.भा.से.-III

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर, 2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ निम्नलिखित को अद्योषित:-

1. मुख्य सचिव, तमिलनाडु
2. महालेखाकार, तमिलनाडु
3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
4. डॉ. के.एस. पलानीसामी, आईएएस(टीएन), कलैक्टर, तेनी जिला